

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3077
दिनांक 21 दिसम्बर, 2023

पेट्रोलियम और सीएनजी पंपों का आवंटन

†3077. श्री प्रिंस राज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) और सामान्य वर्गों के व्यक्तियों को आवंटित किए गए मौजूदा पेट्रोल पंपों, सीएनजी पंपों और एलपीजी एजेंसियों की तेल विपणन कंपनी (ओएमसी)-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत कितना है;
- (ख) वर्ष 2014 से 2023 की अवधि के दौरान अजा, अजजा और अपिव को पेट्रोल पंपों, सीएनजी पंपों और एलपीजी एजेंसियों के आवंटन के चरण-वार, ओएमसी-वार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कितने मामले विभिन्न चरणों में लंबित हैं;
- (ग) पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और एलपीजी एजेंसी का आवंटन करने के लिए आरक्षण रोस्टर, रिक्तियों और बैकलॉग रिक्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, ओएमसी-वार और वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार/तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा आरक्षण नीति के अनुसार अजा, अजजा और अपिव श्रेणियों के कोटे और बैकलॉग को भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उक्त आवंटन कब तक किए जाने की संभावना है;
- (ङ.) क्या राज्य, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को पेट्रोल पंपों के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करा रहे हैं; और
- (च) यदि हां, तो सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल जैसे मोटर ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निमित्त खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) नेटवर्क का विस्तार करना, एक सतत प्रक्रिया है। ओएमसीज ने देश भर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए आरक्षित स्थलों सहित आरओज की स्थापना करने के निमित्त जून/जुलाई, 2023 में 49960 स्थलों के

लिए विज्ञापन दिया है। इन विज्ञापित स्थलों की संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए बैकलॉग स्थल भी शामिल हैं।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की नियुक्ति करना भी एक सतत प्रक्रिया है और बिक्री संभाव्यता, जो उन्हें वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाती हैं, के आधार पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करने के लिए स्थलों की पहचान की जाती है। तथापि, यह निरंतर सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित पीएसयू ओएमसीज द्वारा स्थलों की श्रेणीबद्धता समाप्त किए जाने के बावजूद भी संचयी आधार पर पूर्ववर्ती रोस्टर से ओपन श्रेणी के अन्तर्गत एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संबंधित संख्या से परिवर्तित करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी, यथालागू, आरक्षण किया जाता है।

सीएनजी स्टेशनों की स्थापना नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है और उक्त को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कम्पनियों द्वारा किया जाता है, जिसमें श्रेणीवार आरक्षण का आवंटन नहीं किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने दिनांक 28.06.2023 से खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) के लिए नया "डीलरशिप चयन दिशानिर्देश" और दिनांक 23.06.2016 से "एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए एकीकृत डीलरशिप चयन दिशानिर्देश" कार्यान्वित है। इन दोनों दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राज्यों को छोड़कर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 22.5% के आरक्षण तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

खुदरा बिक्री केन्द्र-

राज्य	अनुसूचित जनजाति श्रेणी को दिए जाने वाले नियमित एवं ग्रामीण आरओ डीलरशिपों का प्रतिशत	"ओपन श्रेणी" को दिया जाने वाला शेष %
अरुणाचल प्रदेश	70	30
मेघालय	80	20
नगालैंड	80	20
मिजोरम	90	10

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप-

राज्य	अनुसूचित जनजाति श्रेणी को दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत	महिला श्रेणी के लिए %	"ओपन श्रेणी" को दिया जाने वाला शेष %
अरुणाचल प्रदेश	49	30	21
मेघालय	56	30	14
नगालैंड	56	30	14
मिजोरम	63	30	7

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग को आवंटित मौजूदा आरओज और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का पीएसयू ओएमसीज (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल)/राज्य/के.शा.प्र-वार संख्या और प्रतिशत का विवरण **अनुलग्नक-1 और अनुलग्नक-2** में दिया गया है।

पीएसयू ओएमसीज ने आगे बताया है कि आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना, जहाँ आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं, में विभिन्न चरण होते हैं जिसमें आवश्यक सांविधिक मंजूरी प्राप्त करना, साइट पर निर्माण इत्यादि शामिल हैं। आरओ और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2014 से वर्ष 2023 की अवधि के दौरान (दिनांक 01.10.2023 की स्थिति के अनुसार) पीएसयू ओएमसीज ने देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के तहत 30,394 आरओज और 12,308 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू किए हैं। उक्त अवधि के दौरान देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के लिए पीएसयू ओएमसीज द्वारा आरओज के लिए जारी किए गए 15,071 एलओआईज और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए 169 एलओआईज चालू किए जाने के लिए लंबित है। वर्ष 2014 से वर्ष 2023 तक श्रेणी के अनुसार पीएसयू ओएमसी (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल)/राज्य/के.शा.प्र.-वार आरओज और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए ऐसे एलओआई की संख्या **अनुलग्नक-3 और अनुलग्नक-4** में दी गई है।

(घ) आरक्षित श्रेणियों को आरओज के आवंटन में कोटा भरने के लिए पीएसयू ओएमसीज द्वारा किए गए प्रयास निम्नानुसार हैं -

- i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क और सुरक्षा जमा राशि ओपन श्रेणी की तुलना में कम रखा गया है।
- ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को केवल विज्ञापित खंड के भीतर उपयुक्त भूमि की पहचान करने और पीएसयू ओएमसी को खरीद या दीर्घकालिक पट्टे के लिए भूमि की पेशकश करने की आव यकता होती है।
- iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत आरओज को कॉर्पस फंड योजना के तहत विकसित किया गया है, जहाँ खुदरा बिक्री केन्द्र का संपूर्ण बुनियादी ढाँचा ओएमसीज द्वारा विकसित किया गया है।
- iv. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एलओआई धारकों को खुदरा बिक्री केन्द्र के चालू होने के बाद कार्यशील पूँजी ऋण की पेशकश की जाती है।
- v. देश में कहीं भी अपनी पसंद के स्थल पर भूमि की व्यवस्था करने का एकमुश्त विकल्प देकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लंबित एलओआई का परिसमापन, पेश की गई भूमि की तकनीकी-

वाणिज्यिक व्यवहार्यता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लंबित एलओआई धारकों को सौंपने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी सीओसीओएस के विनिवेश के अध्यक्षीन होता है। यह योजना 31.3.2022 तक लागू थी।

(ड) और (च) राज्यों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को पेट्रोल पंपों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराने का प्र ही नहीं उठता क्योंकि वर्तमान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को केवल विज्ञापित सीमा के भीतर उपयुक्त भूमि की पहचान करने की आवश्यकता होती है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा पेश की गई भूमि को आरओज की स्थापना के लिए पीएसयू ओएमसीज द्वारा पट्टे पर/खरीद लिया जाता है।

								अनुलग्नक - 1	
'पेट्रोल और सीएनजी पंपों को आवंटन' के बारे में श्री प्रिंस राज, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3077 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक									
दिनांक 01.10.2023 की स्थिति के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/ओपन श्रेणी के खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार संख्या-आईओसीएल									
राज्य/संघ शासित प्रदेश	खुदरा बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या	एससी श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र	एसटी श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र	ओबीसी श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र	ओपन/अन्य श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र	एससी श्रेणी के तहत % खुदरा बिक्री केन्द्र	एसटी श्रेणी के तहत % खुदरा बिक्री केन्द्र	ओबीसी श्रेणी के तहत % खुदरा बिक्री केन्द्र	ओपन/अन्य श्रेणी के तहत % खुदरा बिक्री केन्द्र
अंडमान और निकोबार	19	0	3	0	16	0.0	15.8	0.0	84.2
आंध्र प्रदेश	1596	204	65	55	1272	12.8	4.1	3.4	79.7
अरुणाचल प्रदेश	116	0	84	0	32	0.0	72.4	0.0	27.6
असम	728	37	94	42	555	5.1	12.9	5.8	76.2
बिहार	1886	197	16	124	1549	10.4	0.8	6.6	82.1
चंडीगढ़	25	4	0	0	21	16.0	0.0	0.0	84.0
छत्तीसगढ़	814	36	81	53	644	4.4	10.0	6.5	79.1
दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	23	1	1	0	21	4.3	4.3	0.0	91.3
दिल्ली	193	22	0	0	171	11.4	0.0	0.0	88.6
गोवा	39	2	0	2	35	5.1	0.0	5.1	89.7
गुजरात	1818	129	164	106	1419	7.1	9.0	5.8	78.1
हरियाणा	1898	214	1	95	1588	11.3	0.1	5.0	83.7
हिमाचल प्रदेश	338	50	16	23	249	14.8	4.7	6.8	73.7
जम्मू एवं कश्मीर	303	14	7	14	268	4.6	2.3	4.6	88.4
झारखंड	726	30	57	66	573	4.1	7.9	9.1	78.9
कर्नाटक	2520	264	73	125	2058	10.5	2.9	5.0	81.7
केरल	1134	137	12	53	932	12.1	1.1	4.7	82.2
लखनऊ	22	1	13	0	8	4.5	59.1	0.0	36.4
लक्षद्वीप	4	0	0	0	4	0.0	0.0	0.0	100.0
मध्य प्रदेश	2402	167	157	251	1827	7.0	6.5	10.4	76.1
महाराष्ट्र	2602	210	124	140	2128	8.1	4.8	5.4	81.8
मणिपुर	141	2	37	18	84	1.4	26.2	12.8	59.6
मेघालय	157	0	102	0	55	0.0	65.0	0.0	35.0
मिजोरम	68	0	50	0	18	0.0	73.5	0.0	26.5

नगालैंड	112	0	67	0	45	0.0	59.8	0.0	40.2
ओडिशा	1136	89	87	71	889	7.8	7.7	6.3	78.3
पुदुच्चेरी	97	11	0	4	82	11.3	0.0	4.1	84.5
पंजाब	2037	250	0	36	1751	12.3	0.0	1.8	86.0
राजस्थान	2490	219	175	203	1893	8.8	7.0	8.2	76.0
सिक्किम	28	0	8	1	19	0.0	28.6	3.6	67.9
तमिलनाडु	2758	382	14	154	2208	13.9	0.5	5.6	80.1
तेलंगाना	1470	201	100	84	1085	13.7	6.8	5.7	73.8
त्रिपुरा	93	4	10	5	74	4.3	10.8	5.4	79.6
उत्तर प्रदेश	5073	742	13	344	3974	14.6	0.3	6.8	78.3
उत्तराखण्ड	346	32	4	13	297	9.2	1.2	3.8	85.8
पश्चिम बंगाल	1481	187	37	64	1193	12.6	2.5	4.3	80.6
अखिल भारत	36693	3838	1672	2146	29037	10.5	4.6	5.8	79.1

स्रोत - आईओसीएल

अनुलग्नक - 1

'पेट्रोल और सीएनजी पंपों को आवंटन' के बारे में श्री प्रिंस राज, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3077 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01.10.2023 की स्थिति के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/ओपन श्रेणी के खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार संख्या-बीपीसीएल

राज्य/संघ शासित प्रदेश	खुदरा बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या	खुदरा बिक्री केन्द्र - एससी श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्र - एसटी श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्र - ओबीसी श्रेणी	खुदरा बिक्री केन्द्र - ओपन/अन्य श्रेणी	% खुदरा बिक्री केन्द्र - एससी श्रेणी	% खुदरा बिक्री केन्द्र - एसटी श्रेणी	% खुदरा बिक्री केन्द्र - ओबीसी श्रेणी	% खुदरा बिक्री केन्द्र - ओपन/अन्य श्रेणी
आंध्र प्रदेश	1,003	125	46	56	776	12.46	4.59	5.58	77.37
अरुणाचल प्रदेश	49	0	34	0	15	0	69.39	0	30.61
असम	281	17	41	32	191	6.05	14.59	11.39	67.97
बिहार	876	83	11	53	729	9.47	1.26	6.05	83.22
चंडीगढ़	10	1	0	0	9	10	0	0	90
छत्तीसगढ़	534	25	53	44	412	4.68	9.93	8.24	77.15
दिल्ली	108	7	0	0	101	6.48	0	0	93.52
गोवा	54	1	0	1	52	1.85	0	1.85	96.3
गुजरात	1,291	86	158	72	975	6.66	12.24	5.58	75.52
हरियाणा	720	106	0	54	560	14.72	0	7.5	77.78
हिमाचल प्रदेश	119	17	5	8	89	14.29	4.2	6.72	74.79
जम्मू एवं कश्मीर	188	5	14	7	162	2.66	7.45	3.72	86.17
झारखंड	466	15	28	37	386	3.22	6.01	7.94	82.83
कर्नाटक	1,611	145	60	130	1,276	9	3.72	8.07	79.21
केरल	606	82	7	13	504	13.53	1.16	2.15	83.17
लद्दाख	5	0	4	0	1	0	80	0	20
मध्य प्रदेश	1,575	128	89	133	1,225	8.13	5.65	8.44	77.78
महाराष्ट्र	2,413	219	116	140	1,938	9.08	4.81	5.8	80.31

मणिपुर	40	2	7	3	28	5	17.5	7.5	70
मेघालय	65	1	46	0	18	1.54	70.77	0	27.69
मिजोरम	11	0	9	0	2	0	81.82	0	18.18
नगालैंड	25	0	17	0	8	0	68	0	32
ओडिशा	603	44	39	35	485	7.3	6.47	5.8	80.43
पुदुचेरी	42	3	0	2	37	7.14	0	4.76	88.1
पंजाब	761	122	0	30	609	16.03	0	3.94	80.03
राजस्थान	1,322	142	70	101	1,009	10.74	5.3	7.64	76.32
सिक्किम	26	0	2	0	24	0	7.69	0	92.31
तमिलनाडु	1,879	246	10	122	1,501	13.09	0.53	6.49	79.88
तेलंगाना	1,085	122	72	101	790	11.24	6.64	9.31	72.81
त्रिपुरा	15	0	3	1	11	0	20	6.67	73.33
दादरा नगर हवेली और दमन और दीव संघ शासित प्रदेश	11	0	2	0	9	0	18.18	0	81.82
उत्तर प्रदेश	2,682	395	8	289	1,990	14.73	0.3	10.78	74.2
उत्तराखण्ड	172	16	4	11	141	9.3	2.33	6.4	81.98
पश्चिम बंगाल	815	81	18	34	682	9.94	2.21	4.17	83.68
संपूर्ण परिणाम	21,463	2,236	973	1,509	16,745	10.42	4.53	7.03	78.02

स्रोत - बीपीसीएल

अनुलग्नक - 1

'पेट्रोल और सीएनजी पंपों को आवंटन' के बारे में श्री प्रिंस राज, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3077 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

01.10.2023 की स्थिति के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-वार एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य श्रेणी के खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या- एचपीसीएल

क्र.सं.	राज्य/के.शा.प्र.	खुदरा बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या	एससी श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र	एसटी श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र	ओबीसी श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र	सामान्य/अन्य श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र	एससी श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों का %	एसटी श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र का %	ओबीसी श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों का %	सामान्य/अन्य श्रेणी के तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों का %
1	आंध्र प्रदेश	1320	170	63	71	1016	12.9	4.8	5.4	77.0
2	अरुणाचल प्रदेश	18	0	11	0	7	0.0	61.1	0.0	38.9
3	असम	192	15	25	18	134	7.8	13.0	9.4	69.8
4	बिहार	703	99	9	48	547	14.1	1.3	6.8	77.8
5	छत्तीसगढ़	708	28	74	72	534	4.0	10.5	10.2	75.4
6	दिल्ली	98	4	0	0	94	4.1	0.0	0.0	95.9
7	गोवा	42	5	0	1	36	11.9	0.0	2.4	85.7
8	गुजरात	1170	77	158	78	857	6.6	13.5	6.7	73.2
9	हरियाणा	949	129	0	58	762	13.6	0.0	6.1	80.3
10	हिमाचल प्रदेश	164	27	5	9	123	16.5	3.0	5.5	75.0
11	झारखंड	412	20	47	42	303	4.9	11.4	10.2	73.5
12	कर्नाटक	1396	220	67	116	993	15.8	4.8	8.3	71.1
13	केरल	756	99	8	43	606	13.1	1.1	5.7	80.2
14	मध्य प्रदेश	1479	105	132	141	1101	7.1	8.9	9.5	74.4
15	महाराष्ट्र	2305	220	106	163	1816	9.5	4.6	7.1	78.8
16	मणिपुर	11	0	2	2	7	0.0	18.2	18.2	63.6

17	मेघालय	48	0	29	0	19	0.0	60.4	0.0	39.6
18	मिजोरम	17	0	16	0	1	0.0	94.1	0.0	5.9
19	नगालैंड	28	0	12	0	16	0.0	42.9	0.0	57.1
20	ओडिशा	489	36	35	37	381	7.4	7.2	7.6	77.9
21	पंजाब	1015	175	0	27	813	17.2	0.0	2.7	80.1
22	राजस्थान	1635	167	122	149	1197	10.2	7.5	9.1	73.2
23	सिक्किम	12	0	3	0	9	0.0	25.0	0.0	75.0
24	तमिलनाडु	1647	232	10	118	1287	14.1	0.6	7.2	78.1
25	तेलंगाना	1191	150	78	105	858	12.6	6.5	8.8	72.0
26	त्रिपुरा	9	0	1	0	8	0.0	11.1	0.0	88.9
27	उत्तर प्रदेश	2517	408	6	281	1822	16.2	0.2	11.2	72.4
28	उत्तराखण्ड	225	24	5	12	184	10.7	2.2	5.3	81.8
29	पश्चिम बंगाल	622	84	14	28	496	13.5	2.3	4.5	79.7
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश	13	1	0	0	12	7.7	0.0	0.0	92.3
32	दमन दीव और दादरा नगर हवेली	24	1	2	1	20	4.2	8.3	4.2	83.3
33	जम्मू और कश्मीर	165	13	20	5	127	7.9	12.1	3.0	77.0
34	लद्दाख	7	0	4	0	3	0.0	57.1	0.0	42.9
35	लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	पुदुचेरी	44	6	0	0	38	13.6	0.0	0.0	86.4
	कुल	21431	2515	1064	1625	16227	11.7	5.0	7.6	75.7

स्रोत - एचपीसीएल

'पेट्रोल और सीएनजी पंपों को आवंटन' के बारे में श्री प्रिंस राज, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3077 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

01.10.2023 की स्थिति के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य श्रेणी के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार एलपीजी वितरणों की संख्या- ओएमसी के अनुसार

राज्य	आईओसी								
	डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या	एससी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	एसटी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	ओबीसी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	अन्य श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	एससी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स का %	एसटी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स का %	ओबीसी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स का %	अन्य श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स का %
आंध्र प्रदेश	391	83	21	27	260	21%	5%	7%	66%
अरुणाचल प्रदेश	68	0	52	0	16	0%	76%	0%	24%
असम	378	32	64	35	247	8%	17%	9%	65%
बिहार	1037	205	12	142	678	20%	1%	14%	65%
छत्तीसगढ़	204	19	34	25	126	9%	17%	12%	62%
दिल्ली	150	27	0	1	122	18%	0%	1%	81%
गोवा	3	1	0	0	2	33%	0%	0%	67%
गुजरात	514	42	50	40	382	8%	10%	8%	74%
हरियाणा	264	59	0	24	181	22%	0%	9%	69%
हिमाचल प्रदेश	77	16	3	6	52	21%	4%	8%	68%
झारखंड	314	25	37	26	226	8%	12%	8%	72%
कर्नाटक	528	82	23	45	378	16%	4%	9%	72%
केरल	342	47	5	20	270	14%	1%	6%	79%
मध्य प्रदेश	755	71	60	70	554	9%	8%	9%	73%
महाराष्ट्र	555	68	71	59	357	12%	13%	11%	64%
मणिपुर	87	1	25	8	53	1%	29%	9%	61%
मेघालय	35	0	29	0	6	0%	83%	0%	17%
मिजोरम	48	0	43	0	5	0%	90%	0%	10%

नगालैंड	61	0	49	0	12	0%	80%	0%	20%
ओडिशा	415	37	41	59	278	9%	10%	14%	67%
पंजाब	383	79	0	24	280	21%	0%	6%	73%
राजस्थान	606	79	56	70	401	13%	9%	12%	66%
सिं म	17	0	5	0	12	0%	29%	0%	71%
तमिलनाडु	873	177	6	86	604	20%	1%	10%	69%
तेलंगाना	318	45	13	22	238	14%	4%	7%	75%
त्रिपुरा	74	5	16	5	48	7%	22%	7%	65%
उत्तर प्रदेश	2053	450	2	219	1382	22%	0%	11%	67%
उत्तराखंड	103	15	2	10	76	15%	2%	10%	74%
पश्चिम बंगाल	821	144	24	87	566	18%	3%	11%	69%
केंद्र शासित प्रदेश									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7	0	1	2	4	0%	14%	29%	57%
चंडीगढ़	12	2	0	0	10	17%	0%	0%	83%
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0				
जम्मू और कश्मीर	62	7	2	5	48	11%	3%	8%	77%
लखनऊ	13	0	3	0	10	0%	23%	0%	77%
लक्षद्वीप	1	0	0	0	1	0%	0%	0%	100%
पुदुचेरी	12	3	0	1	8	25%	0%	8%	67%
अखिल भारत	11581	1821	749	1118	7893	16%	6%	10%	68%

(स्रोत -आईओसीएल)

'पेट्रोल और सीएनजी पंपों को आवंटन' के बारे में श्री प्रिंस राज, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3077 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

01.10.2023 की स्थिति के अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य श्रेणी के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार एलपीजी वितरणों की संख्या- ओएमसी के अनुसार

राज्य	बीपीसी								
	डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या	एससी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	एसटी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	ओबीसी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	अन्य श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	एससी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स का %	एसटी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स का %	ओबीसी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स का %	अन्य श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर्स का %
आंध्र प्रदेश	222	33	13	25	151	15%	6%	11%	68%
अरुणाचल प्रदेश	4	0	1	0	3	0%	25%	0%	75%
असम	99	11	11	10	67	11%	11%	10%	68%
बिहार	485	103	5	71	306	21%	1%	15%	63%
छत्तीसगढ़	104	7	14	15	68	7%	13%	14%	65%
दिल्ली	43	16	0	0	27	37%	0%	0%	63%
गोवा	10	2	0	1	7	20%	0%	10%	70%
गुजरात	203	16	26	23	138	8%	13%	11%	68%
हरियाणा	168	43	0	22	103	26%	0%	13%	61%
हिमाचल प्रदेश	20	3	0	2	15	15%	0%	10%	75%
झारखंड	110	7	11	5	87	6%	10%	5%	79%
कर्नाटक	292	54	12	31	195	18%	4%	11%	67%
केरल	187	33	3	9	142	18%	2%	5%	76%
मध्य प्रदेश	337	29	31	43	234	9%	9%	13%	69%
महाराष्ट्र	643	71	58	75	439	11%	9%	12%	68%
मणिपुर	4	0	1	1	2	0%	25%	25%	50%
मेघालय	10	0	9	0	1	0%	90%	0%	10%
मिजोरम	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
नगालैंड	8	0	6	0	2	0%	75%	0%	25%

ओडिशा	224	29	25	29	141	13%	11%	13%	63%
पंजाब	184	43	0	11	130	23%	0%	6%	71%
राजस्थान	331	44	27	34	226	13%	8%	10%	68%
सिं म	3	0	0	1	2	0%	0%	33%	67%
तमिलनाडु	408	95	3	43	267	23%	1%	11%	65%
तेलंगाना	156	31	13	20	92	20%	8%	13%	59%
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
उत्तर प्रदेश	974	227	3	108	636	23%	0%	11%	65%
उत्तराखंड	53	13	1	5	34	25%	2%	9%	64%
पश्चिम बंगाल	314	53	13	44	204	17%	4%	14%	65%
केंद्र शासित प्रदेश									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
चंडीगढ़	3	0	0	0	3	0%	0%	0%	100%
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	0	0	0	1	0%	0%	0%	100%
जम्मू और कश्मीर	29	2	1	5	21	7%	3%	17%	72%
लख	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
पुदुचेरी	7	1	0	1	5	14%	0%	14%	71%
अखिल भारत	5636	966	287	634	3749	17%	5%	11%	67%

(स्रोत -आईओसीएल)

'पेट्रोल और सीएनजी पंपों को आवंटन' के बारे में श्री प्रिंस राज, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3077 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01.10.2023 की स्थिति के अनुसार एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ओपन श्रेणी की राज्य-वार/ संघ शासित प्रदेश-वार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की संख्या- ओएमसी वार

एचपीसी

राज्य	डिस्ट्रीब्यूटरों की कुल संख्या	एससी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	एसटी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	ओबीसी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	अन्य श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर	एससी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर %	एसटी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर %	ओबीसी श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर %	अन्य श्रेणी के तहत डिस्ट्रीब्यूटर %
आं प्रदेश	285	49	18	39	179	17%	6%	14%	63%
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
असम	64	5	12	8	39	8%	19%	13%	61%
बिहार	484	84	4	75	321	17%	1%	15%	66%
छत्तीसगढ़	119	13	24	14	68	11%	20%	12%	57%
दिल्ली	17	0	0	0	17	0%	0%	0%	100%
गोवा	21	8	0	0	13	38%	0%	0%	62%
गुजरात	187	17	28	22	120	9%	15%	12%	64%
हरियाणा	120	27	0	12	81	23%	0%	10%	68%
हिमाचल प्रदेश	29	3	2	3	21	10%	7%	10%	72%
झारखंड	140	14	16	17	93	10%	11%	12%	66%
कर्नाटक	337	56	16	31	234	17%	5%	9%	69%
केरल	148	31	4	4	109	21%	3%	3%	74%
म य प्रदेश	351	30	37	34	250	9%	11%	10%	71%
महारा	641	85	60	69	427	13%	9%	11%	67%
मणिपुर	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
मेघालय	4	0	4	0	0	0%	100%	0%	0%
मिजोरम	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%

नागालैंड	5	0	4	0	1	0%	80%	0%	20%
ओडिशा	269	28	30	35	176	10%	11%	13%	65%
पंजाब	137	35	0	12	90	26%	0%	9%	66%
राजस्थान	362	53	32	35	242	15%	9%	10%	67%
सिं म	3	0	0	0	3	0%	0%	0%	100%
तमिलनाडु	301	66	4	27	204	22%	1%	9%	68%
तेलंगाना	198	34	22	15	127	17%	11%	8%	64%
त्रिपुरा	1	0	0	1	0	0%	0%	100%	0%
उत्तर प्रदेश	840	198	2	87	553	24%	0%	10%	66%
उत्तराखंड	31	4	1	3	23	13%	3%	10%	74%
पश्चिम बंगाल	326	64	18	40	204	20%	6%	12%	63%
संघ शासित प्रदेश									
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
चंडीगढ़	4	2	0	0	2	50%	0%	0%	50%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	1	0	0	2	33%	0%	0%	67%
जम्मू और कश्मीर	66	10	7	5	44	15%	11%	8%	67%
लख	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
पुदुच्चेरी	9	3	0	0	6	33%	0%	0%	67%
अखिल भारत	5504	920	345	588	3651	17%	6%	11%	66%

(स्रोत: आईओसीएल)

अनुलग्नक-3

'पेट्रोल और सीएनजी पंपों को आवंटन' के बारे में श्री प्रिंस राज, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3077 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2014 से 2023 तक दिनांक 01.10.2023 की स्थिति की अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/ओपन श्रेणी के लिए आबंटित आरजों की संख्या (एलओआई जारी किया गया परन्तु चालू नहीं किया गया)-पीएसयू ओएमसीज

	राज्य	एससी श्रेणी				एसटी श्रेणी				ओबीसी श्रेणी				ओपन/ अन्य श्रेणी				कुल एलओ आईज
		आईओसी एल	बीपीसी एल	एचपी सीएल	कुल	आईओसी एल	बीपीसी एल	एचपी सीएल	कुल	आईओसी एल	बीपीसी एल	एचपीसी एल	कुल	आईओसी एल	बीपीसी एल	एचपीसी एल	कुल	
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	4
2	आंध्र प्रदेश	37	34	22	93	10	13	9	32	11	16	16	43	53	50	42	145	313
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	3	14	1	18	0	0	0	0	1	4	0	5	23
4	असम	7	17	5	29	11	24	9	44	8	17	9	34	23	70	29	122	229
5	बिहार	188	75	73	336	14	3	4	21	132	54	65	251	275	162	107	544	1152
5	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
7	छत्तीसगढ़	11	8	18	37	26	23	30	79	21	10	23	54	94	99	85	278	448
3	दमन और दीव और दादरा तथा नगर हवेली	1	0	0	1	3	3	3	9	0	0	0	0	3	1	2	6	16
7	दिल्ली	8	4	0	12	0	0	0	0	3	0	2	5	12	19	4	35	52
0	गोवा	0	6	1	7	0	2	1	3	0	0	4	4	5	8	4	17	31
1	गुजरात	16	20	26	62	33	57	40	130	17	26	31	74	47	171	89	307	573
2	हिमाचल प्रदेश	15	10	10	35	1	1	4	6	8	2	6	16	36	19	17	72	129
3	हरियाणा	142	82	64	288	0	0	0	0	54	65	35	154	176	211	119	506	948
4	जम्मू और कश्मीर	12	10	4	26	5	11	5	21	13	10	7	30	47	22	17	86	163
5	झारखंड	7	11	10	28	31	17	10	58	32	13	15	60	46	49	35	130	276
6	कर्नाटक	106	108	54	268	36	43	16	95	44	57	38	139	141	164	88	393	895

7	केरल	68	31	17	116	7	3	1	11	30	21	22	73	100	52	36	188	388
8	लखनऊ	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	महाराष्ट्र	133	149	128	410	49	88	60	197	85	119	99	303	244	334	259	837	1747
1	मेघालय	0	0	0	0	11	39	16	66	0	0	0	0	2	7	1	10	76
2	मणिपुर	1	0	1	2	5	6	2	13	2	12	1	15	6	10	4	20	50
3	मध्य प्रदेश	59	39	45	143	56	52	46	154	79	41	68	188	217	159	215	591	1076
4	मिजोरम	0	0	0	0	11	16	15	42	0	0	0	0	0	3	1	4	46
5	नागालैंड	0	0	0	0	6	13	1	20	0	0	0	0	2	2	0	4	24
6	ओडिशा	35	17	16	68	40	11	14	65	22	16	19	57	102	46	32	180	370
7	पंजाब	44	49	23	116	0	0	0	0	26	8	16	50	150	61	45	256	422
8	पुदुचेरी	6	0	3	9	0	0	0	0	2	1	3	6	2	2	2	6	21
9	राजस्थान	125	85	115	325	107	65	75	247	165	101	145	411	429	242	327	998	1981
0	सिक्किम	0	1	0	1	1	2	0	3	2	1	0	3	5	4	0	9	16
1	तेलंगाना	46	36	31	113	31	24	29	84	24	35	37	96	89	84	111	284	577
2	तमिलनाडु	93	100	40	233	2	3	2	7	44	78	14	136	99	121	52	272	648
3	त्रिपुरा	0	2	2	4	2	8	2	12	0	7	0	7	1	10	3	14	37
4	उत्तर प्रदेश	288	224	193	705	4	2	3	9	166	0	163	329	479	0	335	814	1857
5	उत्तरांचल	15	13	8	36	3	2	2	7	9	6	8	23	39	73	35	147	213
6	पश्चिम बंगाल	23	26	10	59	1	5	1	7	16	15	11	42	36	79	44	159	267
		1486	1157	919	3562	511	550	401	1462	1017	731	857	2605	2964	2338	2140	7442	15071

स्रोत-आईओसीएल

'पेट्रोल और सीएनजी पंपों को आवंटन' के बारे में श्री प्रिंस राज, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 21.12.2023 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3077 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2014 से 2023 तक दिनांक 01.10.2023 की स्थिति की अनुसार एससी/एसटी/ओबीसी/ओपन श्रेणी के लिए आबंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स की संख्या (एलओआई जारी किया गया परन्तु चालू नहीं किया गया)-ओएमसीज के लिए

क्रम. सं.	राज्य	आईओसी					बीपीसी					एचपीसी					कुल				
		अन्य पिछड़ा वर्ग	ओपन	एससी	एसटी	कुल योग	अन्य पिछड़ा वर्ग	ओपन	एससी	एसटी	कुल योग	अन्य पिछड़ा वर्ग	ओपन	एससी	एसटी	कुल योग	अन्य पिछड़ा वर्ग	ओपन	एससी	एसटी	कुल योग
1	आंध्र प्रदेश	1	0	1	2	4	0	0	0	1	1	4	7	1	1	13	5	7	2	4	18
2	असम	0	1	0	0	1	2	0	0	0	2	1	1	0	0	2	3	2	0	0	5
3	बिहार	2	5	1	0	8	0	1	1	0	2				0	2	6	2	0	10	
4	छत्तीसगढ़	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0				0	0	2	0	0	2	
5	गुजरात	0	4	3	1	8	0	0	0	0	0	1	4	0	2	7	1	8	3	3	15
6	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0				0	0	1	0	0	1	
7	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1				0	0	1	0	0	1	
8	कर्नाटक	1	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2	2	1	6
9	केरल	1	3	1	0	5	0	2	0	1	3	0	2	0	0	2	1	7	1	1	10
10	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2				0	0	0	1	1	2	
11	महाराष्ट्र	2	3	1	3	9	0	2	0	1	3	0	3	0	0	3	2	8	1	4	15
12	मणिपुर	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0				0	0	2	0	0	2	
13	मेघालय	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0				0	0	1	0	0	1	
14	ओडिशा	2	2	0	1	5	2	0	1	1	4	1	0	0	0	1	5	2	1	2	10
15	पंजाब	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0				0	0	2	0	0	2	
16	राजस्थान	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	3	1	0	0	4
17	तमिलनाडु	1	1	1	0	3	0	1	0	0	1	0	5	1	0	6	1	7	2	0	10
18	तेलंगाना	2	0	1	2	5	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	1	2	3	8
19	त्रिपुरा	0	2	0	1	3	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	4	0	2	6
20	उत्तर प्रदेश	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0				0	0	1	0	0	1	
21	उत्तराखंड	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0				0	0	1	0	0	1	
22	पश्चिम बंगाल	7	10	4	1	22	0	5	0	1	6	1	5	0	0	6	8	20	4	2	34

23	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0					0	0	1	0	0	1
24	जम्मू और कश्मीर	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1					0	0	3	0	0	3
25	लक्षद्वीप	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0					0	0	1	0	0	1
	अखिल भारत	21	46	15	11	93	4	14	3	8	29	9	31	3	4	47	34	91	21	23	169

स्रोत:आईओसीएल)
